(39)

न्यायालय में श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)

10 COURT FEE 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10 COURT FEE 10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

263

R-1741-II/12

चरकू चौधरी पिता हरीलाल उम्र–41 वर्ष निवासी ग्राम चॉदपुर थाना व तहसील जैतहरी जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ....अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल यादव पिता लोटन यादव
2. सुभाष चन्द्र पिता लोटन यादव (फौत) वारिस
(अ) मुस0 जैमत्री बाई बेवा सुभाष चन्द्र
(ब) संदीप पिता सुभाष चन्द्र
(स) प्रदीप पिता सुभाष चन्द्र
दोनो बली मां जैमत्री बाई पति सुभाष चन्द्र
3. गनेशिया बाई पति हीरालाल अहीर
सभी निवासी ग्राम चॉदपुर थाना व तहसील जैतहरी जिला–अनूपपुर (म0प्र0)
4. म0प्र0शासन ....रेस्पा0गण

R-1742-II/12

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार जैतहरी के रा0प्र0क0 57/1अ/19(4) 94–95 आदेश दिनांक 01.05.95 के विरूद्ध
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

18/5/12

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है:–

यह कि ग्राम चांदपुर प0ह0 क्योटार स्थिति आ0ख0न0 1279 रकबा 1.75 एकड़ म0प्र0शासन की भूमि पर राजस्व अभिलेखो में वर्ष 1979–80 से लेकर 1989–90 तक का निगरानीकार का कब्जा दर्ज है तथा वर्ष 1991–94 तक किसी भी पक्षकारो का कोई कब्जा दर्ज नही है वर्ष 1994–95 से 1279/1 जुज रकबा 0.405 हे0 में निगरानीकार का वर्तमान समय तक कब्जा दर्ज है जबकि उक्त 1279 सम्पूर्ण रकवे पर आज भी निगरानीकार का कब्जा मौके से है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पा0 क0 1, 2, 3 को अपने रा0प्र0क0 57/अ6/19(4) 94–95 आदेश दिनांक 01.05.1995 को उक्त आ0ख0न0 1279/1 जुज रकबा 0.305 हे0 भूमि का भूमि स्वामी घोषित कर दिया जिससे दुखी होकर निगरानीकार द्वारा यह अपील माननीय एस0डी0राजस्व महोदय जैतहरी के न्यायालय में जानकारी दिनांक से समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की थी जिसे राजस्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2010 को अपील को समय सीमा के अंदर मानकर धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया था किन्तु ~~अधीनस्थ न्यायालय~~ द्वारा दिनांक 21.03.2012 को आदेश पारित करते हुए कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित राजस्व प्रकरण क्र0 57 /1अ /19(4)/94–95 आदेश दिनांक 01.05.95 के विरूद्ध निगरानी की जानी चाहिए थी इसलिए अपील निरस्त की जाती है। जिससे निगरानीकार द्वारा नायब तहसीलदार द्वारा पारित राजस्व प्रकरण क्र0 57 /1अ /19(4)/94–95 आदेश दिनांक 01.05.95 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी समय सीमा के अंदर प्रस्तुत की जा रही है।

क्रमशः..2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted] क्रमांक R1741-II/12 जिला–अनूपपुर

चरकू चौधरी / बाबूलाल यादव

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, तहसील जतैहरी के प्रकरण क्रमांक 57/अ–19(4)/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 01.05.1995 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला अनूपपुर के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द चौधरी), सदस्य	